FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0168 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 09/08/2024 20:04 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 26/07/2024 Date To (दिनांक तक): 08/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:50 बजे Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/08/2024 Time (समय): 19:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 09/08/2024 20:04:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 540 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): Panchyat Samiti Ghatol

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ganeshchandar Damor

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Rajmal Damor

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Mngelapara Post Padoli Rathor, Ghatol, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Mngelapara Post Padoli Rathor, Ghatol, BANSWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Varsha Seth		पति:Dharmendar Deerawat	1. Tehsil Road Ghatol,BANSWARA,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि चालीस हजार रूपये	40,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 40,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय् भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाडा। विषयः- कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय् उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि "मै ग्राम पंचायत कनपुरा में कुल 1 वर्ष तक पदस्थापित रहा जिसमें से मेरी माह जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 एवं ग्राम पंचायत दुदका में अक्टुम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक पदस्थापित रहा था उक्त अवधि मेरा वेतन भुगतान नही हुआ, जिसके सम्बन्ध में श्रीमती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक जो कि पंचायत समिति कार्यालय में वेतन सम्बन्धित कार्य करती है जिनसे मैने मेरे 10 माह् का बकाया वेतन बिल बनाने हेतु सम्पर्क किया तो श्रीमाती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक ने मेरे 10 माह् का वेतन बनाने के एवज में मुझसे कहां की तेरा 10 माह् का वेतन बना दूंगी लेकिन 80,000/- हजार रूपये खर्चा पानी के लगेंगे। जिस पर उन्होने मुझसे 5000 हजार रूपये लेते हुए कहां कि एक दो दिन बाद बकाया दे जाना तब में तेरा वेतन बिल बनाउंगी। उसके बाद में दिनांक 24.07.2024 को पुनः मेरे वेतन बिल की जानकारी के पंचायत समिति घाटोल जाकर श्रीमती वर्षा सेठ से जाकर मिला तो उसने बताया की जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 तक का वेतन बिल बना दिया है लेकिन अभि तु कितने रूपयें लाया है तो मैने उसको बताया की अभि मे 10 हजार रूपये लाया हुं तब श्रीमती वर्षा सेठ ने मेरे से 10 हजार रूपये मांगे जो मैने उसको दे दिये, उसके बाद श्रीमती वर्षा सेठ ने कहां की तेरे 5 माह का वेतन बिल बना दिया है जो एक तारीख बाद तेरे खाते में जमा हो जाये तो बकाया 65 हजार रूपये लेकर आयेगा। तो हि अगले 5 माह अक्टुम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक का वेतन बिल बनाउंगी। इस तरह श्रीमती वर्षा सेठ मेरे 10 माह् के बकाया वेतन बिल के एवज में 80,000/- हजार रूपयें की मांग करते हुए मेरे से एक बार 5,000 हजार एवं एक बार 10,000 हजार कुल 15000 हजार रूपये वेतन बिल बनाने के पहले ही ले लिये है एवं बाकी के 65 हजार रूपये उसने 5 माह का वेतन बिल बनाया है जो 1 तारीख बाद खाते में जमा होने पर लेकर आने को कहा है बकाया 65 हजार रूपये देने पर ही मेरे अगले 5 माह् का वेतन बिल बनाने का कहां है। मै श्रीमती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक को मेरे बकाया वेतन बिल बनाने की एवज में रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। एवं रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु। मेरी वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक से कोई जाति दुष्मनी नही है एवं ना ही मेरी उससे किसी प्रकार की उधार लेन-देन बकाया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही कराने की कृपा करो।" दिनांकः- 26.07.2024 सही/- गणेषचन्द्र डामोर पिता श्री राजमल डामोर निवासी मंगेलपाडा पोस्ट पडौली राठौड, तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा। मो.नं.
- कार्यवाही पुलिस ब्यूरो इकाई बांसवाडा दिनांक 26.07.2024 समय 10.50 ए.एम. श्री गणेषचन्द्र डामोर पुत्र श्री राजमल डामोर पेषा नौकरी निवासी मंगेलापाडा पोस्ट पडोली राठौड तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ने ब्यूरो कार्यालय बांसवाडा उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी ने प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया कि कि " मै ग्राम पंचायत कनपुरा में कुल 1 वर्ष तक पदस्थापित रहा जिसमें से मेरी माह जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 एवं ग्राम पंचायत दुदका में अक्टुम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक पदस्थापित रहा था उक्त अवधि मेरा वेतन भुगतान नही हुआ, जिसके सम्बन्ध में श्रीमती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक जो कि पंचायत समिति कार्यालय में वेतन सम्बन्धित कार्य करती है जिनसे मैने मेरे 10 माह् का बकाया वेतन बिल बनाने हेतु सम्पर्क किया तो श्रीमाती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक ने मेरे 10 माह् का वेतन बनाने के एवज में मुझसे कहां की तेरा 10 माह् का वेतन बना दूंगी लेकिन 80,000/- हजार रूपये खर्चा पानी के लगेंगे। जिस पर उन्होने मुझसे 5000 हजार रूपये लेते हुए कहां कि एक दो दिन बाद बकाया दे जाना तब में तेरा वेतन बिल बनाउंगी। उसके बाद में दिनांक 24.07.2024 को पुनः मेरे वेतन बिल की जानकारी के पंचायत समिति घाटोल जाकर श्रीमती वर्षा सेठ से जाकर मिला तो उसने बताया की जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 तक का वेतन बिल बना दिया है लेकिन अभि तु कितने रूपयें लाया है तो मैने उसको बताया की अभि मे 10 हजार रूपये लाया हुं तब श्रीमती वर्षा सेठ ने मेरे से 10 हजार रूपये मांगे जो मैने उसको दे दिये, उसके बाद श्रीमती वर्षा सेठ ने कहां की तेरे 5 माह का वेतन बिल बना दिया है जो एक तारीख बाद तेरे खाते में जमा हो जाये तो बकाया 65 हजार रूपये लेकर आयेगा। तो हि अगले 5 माह अक्टुम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक का वेतन बिल बनाउंगी। इस तरह श्रीमती वर्षा सेठ मेरे 10 माह् के बकाया वेतन बिल के एवज में 80,000/- हजार रूपयें की मांग करते हुए मेरे से एक बार 5,000 हजार एवं एक बार 10,000 हजार कुल 15000 हजार रूपये वेतन बिल बनाने के पहले ही ले लिये है एवं बाकी के 65 हजार रूपये उसने 5 माह का वेतन बिल बनाया है जो 1 तारीख बाद खाते में जमा होने पर लेकर आने को कहा है बकाया 65 हजार रूपये देने

पर ही मेरे अगले 5 माह का वेतन बिल बनाने का कहां है। मै श्रीमती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक को मेरे बकाया वेतन बिल बनाने की एवज में रिष्वत राषि नही देना चाहता हु। एवं रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हु। मेरी वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक से कोई जाति दुष्मनी नही है एवं ना ही मेरी उससे किसी प्रकार की उधार लेन-देन बकाया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट पर कार्यावाही कराने की कृपा करे। " मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा सही होना एवं प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं स्वय के हस्ताक्षरित होना स्वीकार किया। परिवादी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का आधार कार्ड कार्ड पेश किया जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी ने रिपोर्ट के साथ ग्राम पंचायत कनपुरा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा की जुलाई 2022, अगस्त 2022, सितम्बर 2022, अक्टुबर 2022 एवं नवम्बर 2022 तथा ग्राम पंचायत दुदका पंचायत समिति घाटोल की अक्टुबर 2023, नवम्बर 2023, दिसम्बर 2023, जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 की उपस्थिति दस्तावेज पेष किये है जिस पर सरपंच द्वारा प्रमाणित की गई है। परिवादी ने बताया मेरे दिसम्बर 2022 से सितम्बर 2023 तक मेरा पदस्थापन ग्राम पंचायत दुदका ही रहा था उक्त अवधि का वेतन मुझे मेरे खाते में जमा हो चूका है तथा मार्च 2024 से मेरा स्थानान्तरण ग्राम पंचायत सारण पंचायत समिति कुशलगढ़ में होने से मेरे द्वारा ग्राम पंचायत सारण में ड्युटी ज्योई कर ली है तथा वर्तमान में भी मैं वही पर कार्यरत हूँ। उक्त लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने से मामला रिश्वत राशि लेनदेन का पाया गया। उक्त दरियाफत पर मामला रिश्वत राशि माग सत्यापन नियमानुसार कराया जाना आवष्यक होने से परिवादी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया को भलीभांती समझाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में उपस्थित श्री राजेष कुमार कानि 555 को कार्यालय की अलमारी से डिजीटल टेप रिकोर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा श्री राजेष कानि 555 का परिचय परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर से करवा कर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान कराकर परिवादी को ब्यूरो की डिजीटल टेप रिकोर्डर के संचालन की विधी भलीभांती समझाई गई। तत्पष्चात परिवादी ने बताया की जैसे ही मेरे ग्राम पंचायत कनपुरा पदस्थापन समय अवधि माह जुलाई, 2022 से नवम्बर 2022 तक पांच माह का वेतन जमा हो जायेगा तो उसके बाद मै मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री राजेष जी से सम्पर्क करूंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने व वेतन जमा होते ही ब्यूरो कर्मी श्री राजेष कानि 555 से सम्पर्क करने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया। श्री राजेष कानि 555 को भी परिवादी से नियमित सम्पर्क कर मांग सत्यापन कराने की निर्देष दिये गये। डिजिटिल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः कार्यालय की अलामारी में सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 08.08.2024 समय 9.00 ए.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की दिनांक 06.08.2024 को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा/अ.ज.जा.अ.नि.प्र. चित्तौडगढ़ पर प्रकरण संख्या 222/2019 में सरकार बनाम संकल्प उर्फ गप्पू में दिनांक 06.08.2024 को जरिये जमानती वारण्ट तलब फरमाया जाने पर माननीय न्यायालय में शहादत में उपस्थित हो बाद शहादत ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित हालात इस प्रकार है की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 06.08.2024 को माननीय न्यायालय बाद शहादत एवं दिनांक 07.08.2024 को आवश्यक राजकार्य से मुकीम चित्तौडगढ रहा। बाद फारीक रवाना हो उपस्थित ब्यूरो इकाई बांसवाडा आया। दर्ज रहे कि दिनांक 06.08.2024 को समय 11.06 ए. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेश कानि. नम्बर 555 जो कि ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा पर उपस्थित था उसने जरिये व्हॉट्सएप कॉल से सम्पर्क कर अवगत कराया कि परिवादी श्री गणेशचन्द्र डामोर से जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो परिवादी ने मुझे बताया की मेरा पांच माह वेतन जमा हो गया है मै आपके कार्यालय से सम्पर्क करने वाला था आज श्रीमती वर्षा सेठ मैडम का भी मोबाईल पर कॉल आया, उन्होने मुझे उनके कार्यालय में मिलने बुलाया है। आज वो रिश्वत की मांग कर सकती है इसलीए आप मुझे घाटोल मिलना।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेष कानि को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड लेकर कस्बा घाटोल जाकर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन कार्यवाही कर हालात से अवगत कराने हेतु निर्देषित किया गया जाकर कार्यालय से रूखसत किया गया था, तत्पष्चात् समय 01.18 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री राजेश कानि. द्वारा जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर अवगत कराया की आप द्वारा दिए गए निर्देषानुसार कार्यालय की अलमारी से ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मे नई मेमोरी कार्ड डालकर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर लेकर समय करीबन 11.10 एएम पर ब्यूरो इकाई से रवाना हो समय करीबन 11.45 एएम पर कस्बा घाटोल पहूंचा। जहां पर परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर उपस्थित मिला। जिसे मेरे द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाई जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर डिजीटल टेप रिकॉर्डर परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर को सुपूर्द कर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर पंचायत समिति कार्यालय घाटोल की और रवाना कर मै पंचायत समिति कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहा। इसके बाद करीबन 20 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने बताया की मैडम ने तो पुरे पैसे मांगे है और कहां की पैसे नही देगा तो तेरी आईडी ट्रांसफर नही करूंगी और तेरे कुषलगढ से भी वेतन नही बनेगा। जिस पर मैने मैडम से राषि कम करने हेतु कहने पर कोई जवाब नही दिया और मैने मैडम को कहां की मैने पहले

पन्द्रह हजार रूपये दे दिए है और आज मेरे पास पन्द्रह हजार पडे है वो दे देता हु बाकी कितने और देने पडेगें जिस पर उन्होने कोई जवाब नही दिया इसलीए में वापस पंचायत समिति से बाहर आ गया हुॅ। करीबन 12०:27 पीएम पर वर्षा सेठ के मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल आया जिस पर परिवादी द्वारा बताने पर मैने परिवादी के मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख वार्ता करने को कहां एवं परिवादी व संदिग्ध के मध्य हुई मोबाईल वार्ता की जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। उक्त मोबाईल वार्ता में आरोपीया ने परिवादी को वापस उसके कार्यालय में बुलाया। जिस पर परिवादी को आवष्यक हिदायत देकर समय करीबन 12.31 पीएम पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु कर टेप रिकॉर्डर परिवादी को सुपूर्द कर पुनः रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत कर पंचायत समिति कार्यालय घाटोल की और रवाना कर मैं पंचायत समिति कार्यालय के आस-पास ही अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुकीम रहा। करीबन 15 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द की जिसे मैने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात परिवादी ने मुझे बताया की मैडम ने मेरे को कहां की तुझे फोन करते है तब आता है तनख्वाह जमा होने के बाद भी क्यू नही आया है, अभी कितने लाया है, ये पूछने पर मैने मैडम को मेरे पास जो घरेलू कार्य हेतु पन्द्रह हजार रूपये पड़े थे वो मैंने अपने स्वयंविवेक से उसको दिये है। उसके बाद मेरे द्वारा हाथा जोड़ी करने पर उन्होने चालीस हजार रूपये और मांगे है, उन्होने आज ही रिष्वती राषि देने पर मेरे बकाया वेतन बिल बनानें का एवं आईडी ट्रान्सफर करने को बोला है, जिस पर मैने उनको बताया की आज तो इतने रूपयो की वव्यस्था नही हो सकती है, जिस पर उन्होने मुझे रूपयो की व्यवस्था होने पर लेकर बुलाया है। उपरोक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटिल टेप रिकोर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात परिवादी को मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे मे पुछा तो बताया कि सर आज तो राषि की व्यवस्था होना संभव नही है मै दिनांक 08.08.2024 तक राषि की व्यवस्था कर आपसे सम्पर्क करूंगा, जिस पर परिवादी को मामले की गोपनियता बरतने की हिदायत देते हुऐ राषि की व्यवस्था कर दिनांक 08.08.2024 ब्यूरो इकाई बांसवाडा आने की हिदायत देकर रूकसत किया तत्पष्चात् कस्बा घाटोल से रवाना हो समय करीबन 02.15 पीएम पर ब्यूरो ईकाई पर उपस्थित हुआ तथा निर्देषानुसार श्री राजेष कानि. ने ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आज कार्यालय में उपस्थित होने के बाद श्री राजेष कानि. को रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता का रिकॉर्ड शुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष करने हेतु कहा गया जिस पर श्री राजेष कानि. ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर पेष कर पूर्व में जरिये दूरभाष मांग सत्यापन के हालात पुनः अवगत कराये गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो रिष्वत राषि की मांग सत्यापन होना पाया गया तथा श्री राजेष कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई। समय 09.15 एएम परिवादी व आरोपिया के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्ता एवं परिवादी द्वारा आज दिनांक 08.08.2024 को ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने हेतु अवगत करवाया गया था। अग्रिम कार्यवाही हेतु इस समय दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से अधीषाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बांसवाडा के नाम कार्यालय पत्रांक 849 दिनांक 08.08.2024 एवं दो महिला कानि की आवष्यकता होने से संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन जिला बासंवाडा के नाम कार्यालय के पत्र क्रमांक 850 दिनांक 08.08.2024 जारी कर श्री बंषीलाल कानि. को तहरिर देकर आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। समय 09.30 एएम पर दोनो महिला कानि श्रीमती अनिता पाटीदार पत्नि श्री आषीष पाटीदार निवासी रतनपुरा पंचायत समिति अरथुना पुलिस थाना अरथुना जिला बांसवाड़ा हाल महिला कानि नं 104 पुलिस लाईन बांसवाड़ा एवं श्रीमती चम्पा पत्नि श्री दिनेषचन्द्र रोत निवासी बारोडी पंचायत समिति अरथुना पुलिस थाना अरथुना जिला बांसवाडा हाल महिला कानि नं 807 पुलिस लाईन बांसवाड़ा हाजिर कार्यालय हुए। दोनो को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। समय 09.40 एएम परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया जिसने बताया कि मांग सत्यापन वार्ता अनुसार रिष्वत राषि 40,000 रूपये और देना तय हुआ था, मांग के अनुसार मैं 40,000 हजार रूपये लेकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही उपस्थित हुआ हूॅ। जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 06.08.2024 को हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जो की उसके द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी बाबत् माजिद दरियाफ्त पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया की" श्री राजेष जी ने दिनांक 06.08.2024 को प्रातः जरिये मोबाईल मेरे से सम्पर्क किया था जिस पर मैने राजेष जी को बताया की मेरे पांच माह का वेतन जमा हो गया है और वर्षा मैडम ने भी मुझे कॉल करके आज कार्यालय में मिलने बुलाया है आज वो पैसे की मांग कर सकती है और आप मुझे घाटोल मिलना। जिस पर श्री राजेष जी समय करीबन 11.45 एएम पर कस्बा घाटोल पहूंचा। जहां पर मै उपस्थित मिला। मेरे को राजेष जी ने ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर डिजीटल टेप मुझे देकर रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर पंचायत समिति कार्यालय घाटोल की और रवाना। इसके बाद करीबन 20 मिनट बाद मै राजेष जी के पास आया और ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर राजेष जी को सुपूर्द किया जिसे राजेष जी ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात मैने राजेष जी को बताया की मैडम ने तो पुरे पैसे मांगे है और कहां की पैसे नही देगा तो तेरी आईडी ट्रांसफर नही करूंगी और तेरे कुषलगढ से भी वेतन नही बनेगा। जिस पर मैने मैडम से राषि कम करने हेतु कहने पर

कोई जवाब नही दिया और मैने मैडम को कहां की मैने पहले पन्द्रह हजार रूपये दे दिए है और आज मेरे पास पन्द्रह हजार पडे है वो दे देता हु बाकी कितने और देने पडेगें जिस पर उन्होने कोई जवाब नही दिया इसलीए में वापस पंचायत समिति से बाहर राजेष जी के पास गया। करीबन 12०:27 पीएम पर मैडम का फोन मेरे मोबाईल पर आया जिस पर राजेष जी ने मेरे मोबाईल को लाउड स्पीकर पर रख वार्ता करने को कहां एवं मेरे व संदिग्ध के मध्य हुई मोबाईल वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चालु करके राजेष जी द्वारा रिकॉर्ड की गई। उक्त मोबाईल वार्ता में आरोपीया ने मुझे वापस उसके कार्यालय में बुलाया। जिस पर राजेष जी ने मुझे आवष्यक हिदायत देकर समय करीबन 12.31 पीएम पर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर चालु कर टेप रिकॉर्डर मुझे सुपूर्द कर पुनः रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने की आवष्यक हिदायत देकर पंचायत समिति कार्यालय घाटोल की और रवाना किया। करीबन 15 मिनट बाद मै राजेष जी के पास आकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर राजेष जी को सुपुर्द की जिसे राजेष जी ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पष्चात मैने राजेष जी को बताया की मैडम ने मेरे को कहां की तुझे फोन करते है तब आता है तनख्वाह जमा होने के बाद भी क्यू नही आया है, अभी कितने लाया है, ये पूछने पर मैने मैडम को मेरे पास जो घरेलू कार्य हेतु पन्द्रह हजार रूपये पडे थे वो दिये है। मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर उन्होने चालीस हजार रूपये और मांगे है, उन्होने आज ही रिष्वति राषि देने पर मेरे बकाया वेतन बिल बनाने का एवं आईडी ट्रान्सफर करने को बोला है, जिस पर मैने उनको बताया की आज तो इतने रूपयो की वव्यस्था नही हो सकती है, जिस पर उन्होने मुझे रूपयो की व्यवस्था होने पर लेकर बुलाया है। उपरोक्त वार्ता को मैने ब्यूरो के डिजिटिल टेप रिकोर्डर में रिकोड कर लिया था। तत्पश्चात राजेष जी ने संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था के बारे मे पुछा तो मैने बताया कि सर आज तो राषि की वव्यस्था होना संभव नही है एवं एक दो दिन में वव्यस्था करने का कहने पर राजेष जी ने मुझे मामले की गोपनियता बरतने की हिदायत देते हुऐ रिष्वत राषि की व्यवस्था कर दिनांक 08.08.2024 को प्रातः ब्यूरो इकाई बांसवाडा आने की हिदायत देकर रूकसत किया था।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री राजेष कुमार कानि को कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूछा गया तो कानि ने परिवादी द्वारा बताये गए तथ्यो की ताईद की गई। स्वतन्त्र गवाहो के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को सुरक्षित कार्यालय कक्ष में बिठाया गया। श्री बंषीलाल कानि. द्वारा स्वतन्त्र गवाह पाबन्द की तहरीर देकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर अधिषाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड बांसवाड़ा का पत्रांक 669-670 दिनांक 08.08.24 लेकर उपस्थित आया है जिसका अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया। गवाह के उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। समय 09.55 एएम सार्वजनिक निर्माण विभाग बांसवाड़ा से दो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री सुबोध भाबोर पुत्र श्री प्रभुलाल भाबोर जाति भील उम्र 26 वर्ष निवासी 1 ए 10, माही सरोवर नगर, जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ अभियंता एवं श्री निखिल यादव पुत्र श्री लक्ष्मण लाल यादव जाति यादव उम्र 29 वर्ष निवासी पुराना यादव मोहल्ला जिला बांसवाडा हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड बांसवाड़ा होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान से प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही मे बतौर स्वतन्त्र गवाहान उपस्थित रहने बाबत् सहमति चाही गई जिस पर दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मोखिक सहमति व्यक्त की। दोनों गवाहों को कार्यालय में सुरक्षित बिठाया गया। समय 10.40 एएम कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर एवं कार्यालय में बैठे हुए दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की रिपोर्ट दिनांक 26-07-24 को दोनो गवाहान के समक्ष पढ़कर सुनाई गई तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द सही होना मान रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर अंकित होना जाहिर किया। उक्त रिपोर्ट पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.50 एएम ब्यूरो इकाई डूंगरपुर से पूर्व से पाबन्दषुदा श्री बाबुलाल कानि नं 393 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। समय 11०:30 एएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री गणेशचन्द्र डामोर को आरोपिया वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक कार्यालय पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 80 नोट कुल 40,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये परिवादी श्री गणेशचन्द्र डामोर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री जितेन्द्रसिंह कानि. ड्रा. नम्बर 657 से कार्यालय कक्ष के मालखाने से रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त भारतीय चलन मुद्रा के नोट के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर उपरोक्त नोटो को परिवादी श्री गणेशचन्द्र डामोर की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहिनी जेब की तलाशी श्री सुबोध भाबोर स्वतन्त्र गवाहन से लिवाई जाकर उक्त जेब में श्री जितेन्द्रसिंह से कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री राजेश कानि. से एक प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोल गिलास में कार्यालय कक्ष में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्रसिंह की अंगुलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपिया द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से

ग्रहण करेगा तो नोटो पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपिया ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्रसिंह से कार्यालय के बाहर नाली में फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्रसिंह को सुरक्षित मालखाने में रखने हेतु सभलाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपिया के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर या श्री राजेश कानि. के मोबाईल नम्बर पर मीस कॉल कर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें । परिवादी, श्री जितेन्द्रसिंह व स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.14 पीएम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर को स्वयं की निजी मोटरसाईकल एवं श्री बंषीलाल कानि को रवाना करते हुए परिवादी के पीछे-पीछे श्री दिनेष कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री बाबुलाल कानि एवं श्री राजेष कुमार कानि की निजी मोटरसाईकल से एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुबोध भाबोर, श्री निखिल यादव एवं ब्यूरो जाब्ता, श्री गणेषलाल हैड कानि, श्री हरभजन ंिसह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह, श्रीमति अनिता पाटीदार, श्रीमति चम्पा रोत म. कानि, मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी के ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा से कस्बा घाटोल की ओर रवाना हुए। समय 12.53 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर एवं श्री बंषीलाल कानि, श्रीं दिनेष कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री बाबुलाल कानि एवं श्री राजेष कुमार कानि मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री सुबोध भाबोर, श्री निखिल यादव एवं ब्यूरो जाब्ता, श्री गणेषलाल हैड कानि, श्री हरभजन ंिसह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह, श्रीमति अनिता पाटीदार, श्रीमति चम्पा रोत म. कानि, मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक संसाधन सरकारी कम्प्युटर, प्रिंटर के जरिये प्राईवेट वाहन टैक्सी से ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा से रवानाशुदा कार्यालय पंचायत समिति घाटोल के पास पहुच कर परिवादी श्री गणेशचन्द्र डामोर को श्री राजेश कानि. द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर कार्यालय पंचायत समिति घाटोल की ओर रवाना किया गया तथा प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा करा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के सदस्य परिवादी के पिछे पिछे गोपनीय रुप से अपनी उपस्थिती छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय इशारे के इन्तजार में रहे। श्री जितेन्द्रसिंह को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यवाही के दौरान् प्राईवेट वाहन में ही मुकीम रहे। समय 2.30 पी.एम. दर्ज रहे कि समय करीब 01.47 पी.एम. पर परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर पंचायत समिति घाटोल के बाहर सड़क पर आकर ने अपने सिर हाथ फैरकर रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो के जाप्ता सहित परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने रिश्वती राशि के लेनदेन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की, उस डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को देने पर टेप रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित हालात में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि अभी-अभी वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक को उनकी मांग के अनुसार भारतीय चलन मुद्रा के चालीस हजार रूपये दिये जो श्री वर्षा सेठ ने अपने हाथों से ग्रहण कर उसके पर्स में रखकर उसके पास ही स्थित आलमारी में रख दिये उसके बाद मैं वहां से निकलकर बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया है। इस पर परिवादी के साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो का जाप्ता के साथ कार्यालय पंचायत समिति घाटोल में प्रवेश हुए तो कार्यालय परिसर में बने एक कमरे में परिवादी की निषादेही से प्रवेष हुए तो कमरे में टेबल के पास खड़ी हुई एक महिला की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक है जिन्होने अभी-अभी इनकी मांग के अनुसार चालीस हजार रूपये लेकर इन्होने पर्स में रखकर सामने पड़ी आलमारी में रखे है तथा मेरे आज ही शेष पांच माह अक्टूबर 2023 से फरवरी 2023 तक का वेतन बनाकर पास करने हेतु भेजने सम्बन्धित बातचीत की है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं तथा स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुए अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा आरोपिया से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्रीमती वर्षा सेठ पत्नी श्री धमेन्द्र धीरावत निवासी तहसील रोड़ घाटोल जिला बांसवाड़ा हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा होना बताया। इस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ से पूछा गया कि आपने अभी अभी कुछ समय पूर्व परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर के बकाया पांच माह का वेतन बनाने की एवज में चालीस हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर ग्रहण की है, के संबंध में पूछने पर आरोपिया ने बताया कि गलती हो गई माफ कर दो तत्पष्चात् बताया कि श्री गणेषचन्द्र डामोर का पदस्थापन ग्राम पंचायत कनपुरा व दुदका में रहा था वहा पर ड्युटी से अनुपस्थित रहे थे तथा इनकी उपस्थिति प्राप्त नही होने के कारण वेतन नही बनाया गया है। इस पर परिवादी ने बताया कि श्रीमती वर्षा सेठ झूंठ बोल रही है तथा मैंने मेरे

पदस्थापन ग्राम पंचायत कनपुरा व दुदका की उपस्थिति सरपंच से प्रमाणित करवाकर दो बार दे चूका हूँ फिर भी इन्होने मेरे से मेरे वेतन बनाने की एवज में रिष्वत राषि की मांग की तथा इनके द्वारा मेरे से रिष्वत राषि मांग सत्यापन कार्यवाही से पूर्व पांच हजार रूपये व दस हजार रूपये कुल पन्द्रह हजार रूपये ले लिये तथा मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.08.2024 को पन्द्र हजार रूपये ले लिये थे तथा मांग सत्यापन वार्ता अनुसार चालीस हजार रूपये आज दिये थे। इस पर श्रीमती वर्षा सेठ ने बताया कि मैंने श्री गणेषचन्द्र डामोर के बकाया वेतन माह अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक का अभी कुछ समय पूर्व ही बनाकर प्रोसेज कर दिया है जो बिल पारित होने पर इनके खाते में जमा हो जायेगा। इससे पूर्व के वेतन बिल की राषि श्री गणेषचन्द्र डामोर के खाते में जमा करवाई जा चूकी है। आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ की निशादेही पर टेबल के पास ही स्थित आलमारी में से पर्स निकलवाया जाकर पर्स में रखे हुए 500-500 रूपये के नोट गवाह श्री निखिल यादव से निकलवाये जाकर गिनवाये गये गये तो 500-500 रूपये अस्सी नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल चालीस हजार रूपये बरामद हुए जिसका मिलान स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटों के नम्बर का मिलान हूबहू होना पाया गया उक्त रिश्वत राशि के नोट स्वतन्त्र गवाह श्री निखिल यादव के पास सुरक्षित रखवाये गये। प्रकियानुसार आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के दोनो हाथों के धोवन लिया जाना वांछित होने से श्री राजेष कान्सटेबल से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नई प्लास्टिक के पारदर्शी साफ गिलास निकालाकर कार्यालय से एक पानी की बोतल भरकर मंगवाकर उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थितिन ने स्वीकार किया। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क त्भ्-1 व त्भ्-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क स्भ्-1 व स्भ्-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत राशि आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ के पर्स से बरामद हुई जिसका नियमानुसार धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक नई प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास ट्रेप बॉक्स में से निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में एक रूई के फूंए को पर्स में घुमाकर गिलास के रंगहीन घोल में डूबाया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद श्री गणेषलाल हैड कानि. 20 से कराये जाकर मार्क च्-1 व च्-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त पर्स के अन्दर की साईड को सुखने के बाद उसके अन्दर की तरफ संबंधितों के हस्ताक्षर कराये। उक्त पर्स जो बरंग क्रीम जिस पर रंग बिरंगा वर्क किया हुआ है, को एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर मार्क च् अंकित करा सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पर्स पेकेट को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपस्थितिन के समक्ष आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ की निशादेही पर टेबल के पास ही स्थित आलमारी में से पर्स में से चालीस हजार रूपये बरामद हुए थे, उक्त रिश्वत राशि के नोट स्वतन्त्र गवाह श्री निखिल यादव के पास सुरक्षित रखवाये गये थे तत्पश्चात् पुनः दोनो गवाह से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो 500-500 रूपये अस्सी नोट भारतीय चलन मुद्रा के कुल चालीस हजार रूपये का मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर मार्क श्श्छश्श् अंकित कर श्री गणेषलाल हैड कानि. से सिलचिट बन्द करा नियमानुसार कब्जे ब्यूरों लिये गये। इसके पश्चात् परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर के ग्राम पंचायत कनपुरा व दूदका में पदस्थापन समय की उपस्थिति पूर्व में ही परिवादी द्वारा आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ को दी गई थी, उक्त रिकॉर्ड व वेतन दस्तावेज के बारे में पुछने पर बताया कि कार्यालय के रिकॉर्ड में पड़ा होना बताया। कार्यालय में उपस्थित श्री कमलेष मेनारिया अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति घाटोल को परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर के ग्राम पंचायत कनपुरा व दूदका के उपस्थिति एवं वेतन से सम्बन्धित रिकॉर्ड पेष करने हेतु कहने पर उसने श्रीमती वर्षा सेठ के कक्ष में से रिकॉर्ड निकालकर पेष किया उक्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि श्री गणेषचन्द्र डामोर के दिसम्बर 2023, जनवरी 2024 व फरवरी 2024 की उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं जी.ए.-55 ए. वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 व श्री गणेषचन्द्र डामोर के पदस्थापन सम्बन्धित प्रमाणित शुदा रिकॉर्ड पेष किया गया जो पेज संख्या 01 से 31 तक है जिसके अन्तिम पृष्ठ पर आरोपिया, दोनों गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त रिकॉर्ड के अलावा कार्यालय में कोई रिकॉर्ड परिवादी श्री गणेषचन्द्र के उपस्थिति सम्बन्धित नही मिला तथा ना ही कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपिया के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपिया ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 03.50 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी, उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। समय 04.15 पी. एम. सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आरोपीया का कस्बा घाटोल में स्वंय का मकान निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रही है। श्री दिनेष कुमार सहायक उप निरीक्षक को पुलिस थाना घाटोल से पुलिस जाप्ता प्राप्त कर आरोपीया के कस्बा घाटोल में रिहायषी मकान की निगरानी करने की मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। तत्पष्चात श्री गणेषचन्द्र डामोर परिवादी की निजी वाहन के साथ श्री बाबुलाल कानि तथा श्री राजेष कुमार कानि की निजी वाहन के साथ श्री बंषीलाल कानि तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुबोध भाबोर व श्री निखित यादव मय सरकारी कम्प्युटर व प्रिन्टर, जब्तषुदा रिष्वत राषि, सिलचिट आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, आरोपीय श्रीमती वर्षा सेठ मय ब्यूरो जाप्ता श्रीमती अनिता पाटीदार, श्रीमती चम्पा रोत म.कानि. श्री हरभजन सिंह क.स., श्री जितेन्द्र िंसह कानि. जरिये प्राईवेट वाहन से पंचायत समिति घाटोल से रवाना ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा के लिये अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना हुए। समय 04.45 पी.एम. श्री गणेषचन्द्र डामोर परिवादी की निजी वाहन के साथ श्री बाबुलाल कानि तथा श्री राजेष कुमार कानि की निजी वाहन के साथ श्री बंषीलाल कानि तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री सुबोध भाबोर व श्री निखित यादव मय सरकारी कम्प्युटर व प्रिन्टर, जब्तषुदा रिष्वत राषि, सिलचिट आर्टिकल्स, ट्रेप बॉक्स, आरोपीय श्रीमती वर्षा सेठ मय ब्यूरो जाप्ता श्रीमती अनिता पाटीदार, श्रीमती चम्पा रोत म.कानि. श्री हरभजन सिंह क.स., श्री जितेन्द्र िंसह कानि. जरिये प्राईवेट वाहन से पंचायत समिति घाटोल से रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा पर उपस्थित आये तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा श्री दलपतसिंह वरिष्ठ सहायक भ्र. नि. ब्यूरो इन्टें उदयपुर तलबिदा उपस्थित आया। समय 05.15 पी.एम. आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ को ब्यूरो कार्यालय में श्रीमती अनिता पाटीदार के पास सुरक्षित बिठाया जाकर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं राजेष कानि. व श्रीमती चम्पा रोत महिला कानि. सहित आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ के निवास स्थान मकान जो कि घाटोल कस्बे में स्थित है उसकी खाना तलाषी नियमानुसार लेने हेतु ब्यूरो कार्यालय से जरिये वाहन से रवाना घाटोल के लिये हुआ। समय 07.30 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं राजेष कानि. व श्रीमती चम्पा रोत महिला कानि. सहित आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ के निवास स्थान मकान जो कि घाटोल कस्बे में स्थित है उसकी खाना तलाषी हेतु ब्यूरो कार्यालय से रवाना शुदा समय 05.40 पी.एम. पर पहुॅचकर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष नियमानुसार खाना तलाषी ली जाकर उसकी फर्द खाना तलाषी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बाद खाना तलाषी समय 7.00 पी.एम. पर घाटोल से रवाना होकर इस समय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। फर्द खाना तलाषी को शामिल कार्यवाही किया गया। समय 7.40 पी.एम. दिनांक 06-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की वार्तालाप आरोपिया वर्षा सेठ वरिष्ठ लिपिक के मध्य आमने सामने पंचायत समिति घाटोल कार्यालय एवं मोबाईल पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बंषीलाल कानि. 63 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि मांग सत्यापन फर्द ट्रान्सक्रीप्ट तैयार पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। परिवादी ने उक्त रिकॉर्डशुदा वार्ता में एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्रीमती वर्षा सेठ वरिष्ठ सहायक की होना बताया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्डषुदा है, उक्त वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड से पेनड्राईव पृथक से तैयार किया जायेगा। समय 9.00 पी.एम. आज दिनांक 08-08-24 को रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मध्य आमने सामने पंचायत समिति घाटोल कार्यालय पर हुई, जिसेपरिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई। उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बंषीलाल कानि. 63 से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर से कनेक्ट करा चलाकर वार्तालाप की रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रीप्ट पृथक से तैयार करवाई जाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये थे। समय 10.00 पी.एम. आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी को उसके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.17 पी.एम. दिनांक 06-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य आमने सामने/मोबाईल पर पंचायत समिति घाटोल कार्यालय पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 08.08.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में परिवादी के द्वारा रिकोर्ड की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा वार्तालाप की तीन पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव तथा तीसरी पेनड्राईव पर आई.ओ. लिखा गया। मूल पेनड्राईव लेपकेर 16 जी. बी. जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मूल पेनड्राईव को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद

कर मार्क त्च् अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव लेपकेर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया तथा आई.ओ. पेनड्राईव को भी कवर में रखकर सुरक्षित रखा गया। समय 10.25 पी.एम. दिनांक 06-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य आमने सामने/मोबाईल पर पंचायत समिति घाटोल कार्यालय पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 08.08.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसकी हेश वेल्यू नियमानुसार निकलवाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में से मूल ही निकलवाया गया तो मेमोरी कार्ड बरंग नीला व सफेद 16 जी.बी. जिस पर कन्सिसटेंट लिखा हुआ है, को जरिये फर्द वजह सबूत नियमानुसार मार्क ड अंकित कर जब्त किया गया। समय 10.40 पी.एम. इस समय आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी का मेडीकल परीक्षण करवाने हेतु जरिये पत्रांक 851 दिनांक 08.08.2024 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के सदस्यों व महिला कानि. अनिता पाटीदार व चम्पा रोत सहित आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी को साथ लेकर जरिये वाहन से राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा के लिये रवाना हुए समय 11.30 पी.एम. इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ के सदस्यों सहित आरोपियात श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी का मेडीकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय बांसवाड़ा उपस्थित आये। समय 11.35 पी.एम. आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही के दौरान् श्री बंषीलाल कानि. 63 के मोबाईल वनप्लस कम्पनी से विडियोग्राफी करवाई गई थी उक्त मोबाईल को सरकारी कम्प्यूटर से श्री बंषीलाल कान्सटेबल नम्बर 63 से कनेक्ट करा विडियोग्राफी की दो पेनड्राईव तैयार की गयी। एक पर मूल पेनड्राईव तथा दूसरी पर डब पेनड्राईव लिखा गया। मूल पेनड्राईव लेपकेर 16 जी.बी. को कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर को एक सफेद कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिटबंद कर मार्क डट अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा पृथक से जरिये फर्द जब्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा डब पेनड्राईव लेपकेर 16 जी.बी. को अलग कवर में रखकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सुरक्षित रखा गया। दिनांक 09.08.2024 समय 12.10 ए.एम. श्री कमलेष मेनारिया अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति घाटोल जिला बासंवाड़ा तलविदा उपस्थित आया जिसको दिनांक 06-08-24 को रिश्वती राशि के मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य आमने सामने/मोबाईल पर पंचायत समिति घाटोल कार्यालय पर हुई, जिसे परिवादी के द्वारा ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई तथा आज दिनांक 08.08.2024 रिश्वती राशि के लेनदेन के दौरान परिवादी श्री गणेषचन्द्र की वार्तालाप आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी के मध्य हुई, जिसे नियमानुसार ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हुई। जिसका तैयार शुदा डब पेनड्राईव को लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन व लेन-देन वार्ता को तलबी शुदा श्री कमलेष मेनारिया पुत्र श्री श्रीकिषन जी मेनारिया निवासी गांव बरेखन तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ हाल अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति घाटोल जिला बासंवाड़ा को सुनाई गई तो श्री कमलेष मेनारिया अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति घाटोल द्वारा आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ की आवाज पहचान की ताईद की गई। उक्त आवाज पहचान की फर्द पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर श्री कमलेष मेनारिया को रूखसत किया गया। समय 12.40 ए.एम. जब्तशुदा मालखाना आईटम को सुरक्षित कार्यालय के मालखाना में रखने हेतु श्री गणेषलाल हैड कान्सटेबल 20 को निर्देशित किया गया। ट्रेप कार्यवाही की लिखापढी पूर्ण होने पर परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर व दोनो स्वतन्त्र गवाहो को रूखसत किया गया। समय 02.15 ए.एम आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रषासनिक अधिकारी को महिला पुलिस थाना बांसवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाने हेतु रखने हेतु जरिये तहरीर महिला कानि. व मय स्टाफ श्री गणेषलाल हैड कानि. नम्बर 20 के साथ रवाना किया गया। समय 02.40 ए. एम. आरोपिया श्रीमती वर्षा सेठ को महिला पुलिस थाना बांसवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से जमा करवाकर प्राप्ति रसीद सहित ब्यूरो बांसवाड़ा पर उपस्थित आये। प्रकरण में आरोपी श्रीमती वर्षा सेठ, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपीय श्रीमती वर्षा सेठ, सहायक प्रषासनिक अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाड़ा द्वारा परिवादी श्री गणेषचन्द्र डामोर के माह जुलाई 2022 से नवम्बर 2022 एवं ग्राम पंचायत दूदका में माह अक्टूम्बर 2023 से फरवरी 2024 तक का वेतन बिलो को बनाने की एवज में परिवादी के वर्तमान पदस्थापन स्थल पर एम्पलोई आईडी ट्रांसफर करने के लिए पंचायत समिति घाटोल की सहायक

प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती वर्षा सेठ से सम्पर्क किया तो आरोपीया ने परिवादी को उक्त माह के वेतन भुगतान की एवज में रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी की रिपोर्ट के अनुरूप कुल 80,000/- रूपये की रिश्वत राशि की मांग की गई जिसके बाद परिवादी द्वारा दिनांक 26.07.2024 को ब्यूरो इकाई उपस्थित होकर रिपोर्ट दी परिवादी की रिपोर्ट पर नियमानुसार दिनांक 06.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो आरोपीया सहायक प्र्शासनिक अधिकारी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी से 15,000/- रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण की गई। तथा आरोपीया के मांग अनुसार शेष रिष्वत राषि 40,000 रुपये लेते हुए आरोपीया को आज दिनांक 08.08.2024 को पकडा गया है। रिष्वत राषि बरामद की जा चुकी है। मौके पर अग्रिम कार्यवाही जारी है। दिनांक 08.08.2024 को नियमानुसार स्वतंत्र गवाह तलब कर ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर आरोपीया श्रीमती वर्षा सेठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी को परिवादी गणेशचन्द्र डामोर से बकाया रिश्वत राशि 40,000 रुपये लेते रंगे हाथों पकडा गया है। इस प्रकार आरोपीया वर्षा सेठ द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपने देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त अवैध रिष्वत राषि परिवादी से मांगकर ग्रहण करना जूर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपीया श्रीमती वर्षा सेठ पत्नि श्री धर्मेन्द्र धीरावत निवासी तहसील रोड घाटोल जिला बांसवाडा। हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित) 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं। भवदीय, (ऋषिकेष मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेष मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती वर्षा सेठ पत्नि श्री धर्मेन्द्र धीरावत निवासी तहसील रोड घाटोल जिला बांसवाडा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह परमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 136 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 883-86 दिनांक 9.8.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाडा। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): VIKRAM SINGH PARMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 09/08/2024 20:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	21/06/1982				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)